संख्या-12/2016/ 1465 सी0डी0/46-3-16-1000(31)/2016

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्द्रशहर, बिजनौर,
मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, गोण्डा, बस्ती, ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2016

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/ आयोजनागत) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 56 सडकों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के अनुसार कुल रू0 19,17,05,300/- (रू0 उन्नीस करोड सत्रह लाख् पांच हजार तीन सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/ आयोजनागत) के अन्तर्गत, योजना हेतु **निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार,** 80 प्रतिशत शासकीय अंशदान के रूप में **उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 15,00,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड मात्र)** के सापेक्ष, संलग्न विवरण के अनुसार, शासकीय अंशदान की वित्तीय स्वीकृति सहित एकमुश्त रूप से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आंवटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

3- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

4- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 होगी। समस्त कार्य उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 एवं इस संबंध में निर्गत शासनादेशों क्रमश संख्या-2392/23-1-2013-72सा0/12, दिनांक 22.11.2013, व संख्या- 300/2600/23-1-2014-72सा0/12, दिनांक

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26.12.2014 में निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जायेगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

5- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 तथा शासनादेश संख्या ए-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के **स्तम्भ-9** में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को एवं संलग्नक के **स्तम्भ-8** में वानिकीकरण हेतु अंकित धनराशि जनपद स्तर पर वन विभाग के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा **स्तम्भ-10** में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं अन्य आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या, समेकित रूप से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10- प्रस्तर-1 में दी जा रही प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यो, जो स्थल पर चिन्हांकित एवं सत्यापन योग्य हों, का स्थलीय निरीक्षण भी नियमित रूप से एक स्तर उच्च तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यो के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यो का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

12- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/ आयोजनागत) के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो का सुदृढीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

-------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- यह आदेश (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

संख्या-12/2016/1464(1)सी0डी0/46-3-16-1000(31)/2016 -तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार,आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
10- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
11- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
12- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
13- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
14- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
15- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
16- कल्याण् नियोजन प्रकोष्ठ/ बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
17- वन अनुभाग-5/ समाज कल्याण अनुभाग-3,
18- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
19- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-12/2016/ 1465 सी0डी0 /46-3-16-1000(31)/2016 दिनांक 14 जुलाई, 2016 का संलग्नक

पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) मद की स्वीकृत कार्ययोजना/धनराशि

क्र0	जनपद	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0 मी0)	आकलित लागत (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकी करण की धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0 रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकी करण, सेन्टेज रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	1	देवबन्द चन्देना मार्ग से खजुरी	1.000	24.140	18.89	0.09	2.08	16.72
		2	फुलास से फुलासी मार्ग	1.200	29.430	23.03	0.12	2.54	20.37
		3	गंझेड़ी मार्ग से तल्हेड़ी बुजुर्ग	0.650	16.650	13.03	0.07	1.44	11.52
		4	चाऊपुरा से ढलावली	0.400	11.770	9.21	0.05	1.01	8.15
		5	जौला डिडौली मार्ग से नागंल	1.000	24.610	19.25	0.10	2.12	17.03
		6	नन्दपुर से घसौती की ओर	1.300	32.820	25.68	0.13	2.83	22.72
		7	नानौता देवबन्द मार्ग से मोरा	1.500	37.990	29.72	0.14	3.27	26.31
		8	भारीदिनदारपुर से कुआखेड़ा की ओर	1.000	25.920	20.28	0.10	2.23	17.95
		8	योग	**8.050**	**203.330**	**159.09**	**0.80**	**17.52**	**140.77**
2	मुजफ्फर नगर	1	सुभाष के खेत से मिडकाली की ओर	0.420	11.370	8.90	0.04	0.98	7.88
		2	बडसू से फुलत की ओर	1.000	27.112	21.21	0.11	2.34	18.76
		3	ग्राम खतौली जानसठ बसायच मार्ग	1.500	39.734	31.09	0.16	3.42	27.51
		4	बसायच से चिन्दोड़ा की ओर	1.000	26.328	20.60	0.10	2.27	18.23

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		5	मुजफ्फर नगर बाईपास से सिलाजुड्डी तक	0.945	23.680	18.53	0.09	2.04	16.40
		6	ग्राम नसीरपुर मुजफ्फर नगर पचेन्डा मार्ग तक	2.025	47.251	36.97	0.18	4.07	32.72
		7	करवाडा ग्राम में हरपाल के बाग से सरदार सिंह के मकान तक	1.444	41.670	32.60	0.16	3.59	28.85
		8	ग्राम जडौदा के पास सड़क तक	0.253	17.082	13.36	0.07	1.47	11.82
		9	कुतुबपुर से चुडियाला मार्ग	1.000	26.293	20.57	0.11	2.27	18.19
		9	योग	**9.587**	**260.520**	**203.83**	**1.02**	**22.45**	**180.36**
3	शामली	1	थानाभवन ऊन मार्ग से सांपला मार्ग	0.680	17.603	13.77	0.07	1.52	12.18
		1	योग	**0.680**	**17.603**	**13.77**	**0.07**	**1.52**	**12.18**
4	मेरठ	1	मेरठ-करनाल मार्ग से ग्राम बहादरपुर मार्ग	1.500	45.477	35.58	0.18	3.92	31.48
		2	मेरठ-करनाल मार्ग से ग्राम बहादरपुर मार्ग अवशेष भाग	1.500	41.786	32.69	0.16	3.60	28.93
		3	ग्राम दबथुवा से ग्राम बहादरपुर तक	1.050	30.359	23.75	0.12	2.62	21.01
		4	मेरठ करनाल मार्ग से बटजेवरा मार्ग	0.390	10.894	8.52	0.04	0.94	7.54
		5	करनावल रोड से जेवरी मार्ग	1.145	31.867	24.93	0.12	2.75	22.06
		6	बरनावा रोड से जल्होड़ा मार्ग	1.225	34.790	27.22	0.14	3.00	24.08
		7	भूडबराल छजजूपुर से उपलहेड़ा सम्पर्क मार्ग	0.840	23.785	18.61	0.10	2.05	16.46
		8	ग्राम जिजोंखर से शमशान घाट व रामपाल के खेत तक	1.072	31.671	24.78	0.12	2.73	21.93
		9	बुढ्ढा रोड से माईनर मार्ग	0.575	17.663	13.82	0.07	1.52	12.23
		9	योग	**9.297**	**268.292**	**209.90**	**1.05**	**23.13**	**185.72**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	बागपत	1	पाबला से चौहल्दा खास की पटरी (प्रथम भाग)	1.500	64.732	50.65	0.25	5.58	44.82
		1	योग	**1.500**	**64.732**	**50.65**	**0.25**	**5.58**	**44.82**
6	बुलन्दशहर	1	स्याना बी0बी0 नगर रोड से थल इनायतपुर	1.500	50.871	39.80	0.20	4.38	35.22
		1	योग	**1.500**	**50.871**	**39.80**	**0.20**	**4.38**	**35.22**
7	बिजनौर	1	चाँदपुर फीना से रूकनपुर सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग	1.300	42.678	33.39	0.17	3.68	29.54
		2	हल्दौर नांगलजट मार्ग से इस्सापुर अवशेष भाग	0.740	24.955	19.52	0.10	2.15	17.27
		3	फरीदपुर भोगी पेदा रोड से नसीरी झलरी मार्ग	1.000	28.416	22.23	0.11	2.45	19.67
		4	नजीबाबाद कोतवाली मार्ग से मारकपुर (मुबारकपुर सहारन) मार्ग	1.320	37.151	29.07	0.15	3.20	25.72
		5	कुण्डीपुरा से अजीतपुर दासी मार्ग तक	0.870	29.609	23.17	0.12	2.55	20.50
		6	नगीना अकबराबाद मार्ग से जलालपुर सुल्तान मार्ग	1.106	43.742	34.22	0.16	3.77	30.29
		7	नुरूलडहरपुर से दयालपुर ज्ञान मार्ग	0.985	30.296	23.70	0.12	2.61	20.97
		7	योग	**7.321**	**236.847**	**185.30**	**0.93**	**20.41**	**163.96**
8	मुरादाबाद	1	मुरादाबाद हरिद्वार रोड से फूलपुर सम्पर्क मार्ग	0.800	31.831	24.90	0.12	2.74	22.04
		2	कांठ रेलवे स्टेशन से पेली विश्नोई रेलवेफाटक	1.200	56.623	44.30	0.23	4.88	39.19
		2	योग	**2.000**	**88.454**	**69.20**	**0.35**	**7.62**	**61.23**
9	पीलीभीत	1	बहेटा से पस्तौर कुईया मार्ग	1.300	39.500	30.90	0.15	3.40	27.35
		1	योग	**1.300**	**39.500**	**30.90**	**0.15**	**3.40**	**27.35**
10	शाहजहाँपुर	1	पुवायां शाहजहाँपुर रोड से ढकिया बुजुर्ग तक	2.000	70.553	55.20	0.28	6.08	48.84
		2	कटरा जलालाबाद	2.260	71.493	55.94	0.28	6.16	49.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			सम्पर्क मार्ग से करौंदा तक						
		3	शाहजहाँपुर से ग्राम कंजा का प्रथम भाग	1.000	33.726	26.39	0.13	2.91	23.35
		4	कटरा जलालाबाद मार्ग से मोहम्मदपुरहरा का अवशेष भाग	0.700	19.989	15.64	0.08	1.72	13.84
		4	योग	**5.960**	**195.761**	**153.17**	**0.77**	**16.87**	**135.53**
11	लखीमपुर	1	गोला सिकन्दरा मार्ग पिपरिया प्रथम भाग	1.000	30.940	24.21	0.12	2.67	21.42
		2	बेहडा मुल्तान से प्राथमिक विद्यालय से सुखाय प्रथम भाग	0.600	21.150	16.55	0.09	1.82	14.64
		3	गोला लखीमपुर मार्ग से मूडा बुजुर्ग	1.000	31.180	24.40	0.12	2.69	21.59
		4	गोला लखीमपुर मार्ग से सिकटिहा से परसेहरा मार्ग	1.000	31.140	24.36	0.12	2.68	21.56
		5	सम्पूर्णानगर पलिया रोड दलनगर से हंसनगर	2.000	62.850	49.17	0.25	5.42	43.50
		6	नहर पुलिया से बैबहामुन्नू सिंह सम्पर्क मार्ग	1.000	31.410	24.58	0.12	2.71	21.75
		6	योग	**6.600**	**208.670**	**163.27**	**0.82**	**17.99**	**144.46**
12	सीतापुर	1	महोली पिपरझला मार्ग	1.500	49.660	38.97	0.19	4.29	34.49
		1	योग	**1.500**	**49.660**	**38.97**	**0.19**	**4.29**	**34.49**
13	गोण्डा	1	खारी बावली मार्ग से केवटहा (पहली मार्ग)	1.500	53.470	41.83	0.21	4.61	37.01
		2	वजीरगंज झिलाही सम्पर्क मार्ग बेहूटा हलबल से आज्ञाराम मार्ग तक	1.000	36.393	28.47	0.14	3.14	25.19
		2	योग	**2.500**	**89.863**	**70.30**	**0.35**	**7.75**	**62.20**

14	बस्ती	1	विक्रमजोत टूटीभीटी	1.700	46.800	36.62	0.18	4.03	32.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			मार्ग पर ग्राम बंजरिया से दन्तनगर तक						
		2	कडर से दसौती ग्राम होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग बस्ती गोरखपुर तक	0.900	26.400	20.66	0.10	2.28	18.28
		3	तेनुई कुर्दा से तेनुआ सम्पर्क मार्ग	0.650	19.470	15.23	0.08	1.68	13.47
		4	गणेशपुर दुबौला मार्ग से गौरा तक	1.750	50.280	39.34	0.19	4.33	34.82
		4	योग	**5.000**	**142.950**	**111.85**	**0.55**	**12.32**	**98.98**
		56	महायोग	**62.795**	**1917.053**	**1500.00**	**7.50**	**165.23**	**1327.27**

(रू0 पन्द्रह करोड मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।